

प्रकाश

आजीय भांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मिस्टर,
लॉर्ड जॉर्ज आर्क मेडिकल रजिस्ट्रार,
2/19 सप्त विहार,
नई दिल्ली ।

विषय 1193 अनुदान

संज्ञक: दिनांक: 2 अगस्त, 1992.

विषय :- राधा माध्यमिक स्कूल, बीरपुर रोड, बरेली को अभावित प्रमाण पत्र दिये जाने से संबंध में ।

सहीदम,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह सूचना मिली है कि राधा माध्यमिक स्कूल, बीरपुर रोड, बरेली को मेन्स जोर्ड आर्क मेडिकल रजिस्ट्रार, नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में एत राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धनों के अन्तर्गत आपत्तियों हैं :-

- 1. विद्यालय को संश्लेषित सीमाहदी यह तब तक पर नहीं की जायेगी जब तक कि यह पारितोषिक न हो ।
- 2. विद्यालय की प्रस्ताव समिति में विद्यालय निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के भेदाधीन वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तम प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों विभिन्न वर्गों से के लिए निर्धारित अनुसूचित से अधिक अनुसूचित नहीं लिया जायेगा ।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से जोर्ड अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता मेन्स जोर्ड मेडिकल रजिस्ट्रार, नई दिल्ली/काउन्सिल फार गैजेटेड डॉक्टर्स एंड फिजिकल एजुकेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उपरोक्त शिक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषदों से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान रूपतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5. संस्था के विद्यालय तथा शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय तब्यथा प्राप्त विद्यालय संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य

(Handwritten signature)